

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क सहित अलग - अलग आवेदन पत्र भरना होगा।

एक बार पंजीकृत होने के बाद, भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

8. Admission in each course, there will be reserve for disabled applicants not less than 50% seats and rest vacant seats will be fulfilled / allotted to general applicants. Further, the reservation rule be followed as notified in reservation policy of Uttar Pradesh admission separately for disabled and general seats.
विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अन्युन 50% स्थान दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा एवं शेष रिक्त स्थान सामान्य विद्यार्थियों हेतु आबंटित होगा। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के अनुसार प्रवेश में आरक्षण - नीति का अनुपालन दिव्यांग एवं सामान्य सीटों के लिए अलग - अलग किया जायेगा।
9. The Schedule Caste/ Schedule Tribes, Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) and EWS (Economically Weaker Section) candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of Reservation. Schedule Caste/ Schedule Tribes, Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) and EWS (Economically Weaker Section) candidates of other states will be treated as general.
मूल रूप से उत्तर-प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को सामान्य माना जाएगा।
10. Applicants belonging to any reserved category must upload a clear copy of valid caste/ category/ disability certificate along with the online application to claim such benefit.
आरक्षित श्रेणी से संबंधित आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ वैध जाति/श्रेणी/विकलांगता प्रमाण पत्र की एक स्पष्ट प्रति अपलोड करनी होगी।
11. Subject allocation will be as per the guidelines of NEP 2020. (wherever applicable)
विषय आवंटन एनईपी 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। (जहां भी लागू हो)
12. The University Rules and Regulations shall be followed by the students and an "UNDERTAKING" in this regard needs to be signed by the candidate at the time of admission.
छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और प्रवेश के समय उम्मीदवार को इस संबंध में एक "अंडरटेकिंग" पर हस्ताक्षर करना होगा।
13. All the relevant documents have to be mandatorily uploaded by applicants on the University website while filling-up online application. The candidates need to produce the hard copy and submit self-attested photocopies of all the relevant documents at the time of counselling/ interview.
ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों द्वारा सभी संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आवेदक को काउंसलिंग/साक्षात्कार के समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ आवेदन की प्रिन्ट जमा करनी होगी।